

सतत विकास में पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान: आदिकाल से आज तक

डॉ.ज्योति दिवाकर*

सारांश

हम सभी भारतीय पृथ्वी को माता मानते हैं, और माता मानकर उसकी पूजा भी करते हैं, और सतत विकास सदैव हमारे विधि और विचारधाराओं का मूल सिद्धांत रहा है। आज संपूर्ण विश्व पर्यावरण को लेकर चिंतित है। प्रदूषक तत्वों की मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है, यह संपूर्ण मानवता के लिए खतरा है। शुद्ध वायु, जल तथा शुद्ध भोजन हमारे जीवन जीने के लिए अनिवार्य है, पर्यावरण संरक्षण जो सतत विकास का अभिन्न अंग है। इसके लिए पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा दायित्व है। पर्यावरण संरक्षण में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधान और विकास हेतु नीतियां अपने मूलभूत सिद्धांतों में शामिल किया गया है, और आगे भी पर्यावरण संरक्षण के सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है।

पर्यावरण संरक्षण जीने के मूल अधिकार में शामिल है जब भारतीय संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों पर कुठाराघात होता है तभी प्रदूषण के कारणों के निस्तारण में जुट जाते हैं सरकार को समझना होगा कि यह एक दिन की समस्या नहीं है और नाहीं एक दिन में इसका समाधान होने वाला है कभी-कभी न्यायालयों की चिंता देखने को मिलती है लेकिन न्यायालय की भी अपनी सीमा है वह आदेश को पारित कर सकते हैं लेकिन आम जन को भी समझना होगा कि पर्यावरण की क्षति अपूरणीय है न्यायालय कब तक दखल देती रहेगी जनता को अपने वर्तमान और भविष्य काल का डर होना चाहिए कि नष्ट हुए पर्यावरण को किसी कीमत में वापस नहीं लाया जा सकता।

पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा

पर्यावरण शब्द का अर्थ आसपास या पड़ोस से होता है। जिसमें मानव, जंतुओं या पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित एवं विस्तार करने वाली परिस्थितियां कार्यप्रणाली तथा जीवनयापन की दशाएं शामिल हैं। पर्यावरण से तात्पर्य मनुष्य के चारों ओर उस वातावरण और परिवेश से है जिससे हम घिरे हैं अर्थात् पर्यावरण वह है जो प्राणी को चारों ओर से घेरे हुए है और उसे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। पर्यावरण उन समस्त बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं।¹

* डॉ. ज्योति दिवाकर, सहायक प्राध्यापक (विधि), शासकीय श्रीमंत माधव राव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी (म.प्र.)

स्वच्छ पर्यावरण को हमारे देश में प्राचीनकाल से ही वरीयता दी गई है। प्राचीन पुराणों में भारतीय मनस्वियों, विद्वानों ने पर्यावरण संरक्षण का सूत्रपात किया है। भारतीय पुराण पर्यावरण संरक्षण के सिद्धान्तों एवं पर्यावरण शिक्षाओं से भरे पड़ें हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारतीय प्राचीन काल से ही अत्यंत सजग और चेतन रहे हैं।²

"प्रकृति रक्षित रक्षिता"

अर्थात् प्रकृति हमारी रक्षा करती है, यदि हम उसकी रक्षा करें पर्यावरण संरक्षण हमारी जीवन शैली से ही जुड़ा हुआ है। हमारी सामाजिक -सांस्कृतिक परंपराओं, प्रथाओं में कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया गया है। भारत में प्राचीन काल से ही सूर्य, जल, वायु, अग्नि, नदी को पूजने की परंपरा रही है इस परंपरा की आड़ में या इसका मूल भाव कहीं ना कहीं पर्यावरण सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ है यही परंपराएं प्राचीन काल से अब तक चली आ रही है इसके माध्यम से हमने सदैव पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ाने तथा सुरक्षित रखने का काम किया है हमारे धर्म शास्त्रों में वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को पुण्य दायी कार्य बताया गया है जहां का पर्यावरण साफ़ और पेड़ पौधे पर्याप्त संख्या में होते हैं वहां का वातावरण आनंद मयी होता है।

पर्यावरण जीवन का आधार है। भारत में अति प्राचीन समय से ही इस सत्य को स्वीकार किया गया है असल जीवन, बल्कि स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता स्वच्छ पर्यावरण में समाहित है स्वास्थ्य जीवन का आधार स्वच्छ पर्यावरण है। प्राचीन समय में आबादी की कमी के कारण पर्यावरण प्रदूषण एवं असंतुलन की इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। जितनी की अब हो गई है फिर भी तब पर्यावरण के प्रति जागरूकता थी। उस समय भी वृक्षों की एक स्वच्छ पर्यावरण की महत्ता को स्वीकार किया गया था पर्यावरण के संरक्षण हेतु कर्तव्य अध्यारोपित किए गए थे।³

हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रकृति प्रेम और सभी जीवो मानव पशु एवं पौधों के पर्यावरण संरक्षण में अंतर्संबंध लोगों के प्रति सजग प्रदर्शित की गई जो ऋषियों द्वारा धार्मिक कर्तव्यों के रूप में निर्दिष्ट की गई। भारतीय इतिहास में सजग रूप से पर्यावरण संरक्षण का स्वर्णयुग गुप्तकाल रहा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र (321-300) ईसापूर्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रावधानों का वर्णन मिलता है चाणक्य काल में वनों की देखरेख हेतु अधीक्षक नियुक्त किए गए।⁴ धार्मिक कार्य हेतु संरक्षित वन, वन उत्पादों की आपूर्ति हेतु संरक्षित वन, की राजकीय हाथियों की चराई यह तो संरक्षित वन, राजकीय की शिकार हेतु संरक्षित वन, शिकार हेतु, खुले वनों के रूप में वर्गीकरण किया गया पेड़ों को काटने, पर्यावरण को दूषित करने, को शिकार हेतु, वनों की क्षति पहुंचाने के विरुद्ध कई तरह के दंडित किए गए थे।

मध्यकालीन भारत में पर्यावरण संरक्षण नीति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया परंतु कुछ राजकीय वनों को संरक्षित करना तथा बाग, बगीचे बनवाने- पेड़ पौधों का रोपण का कार्य किया गया था।⁵

ब्रिटिश काल में भारत में पर्यावरण नीति में काफी सुधार किया गया। सन् 1865 में वन अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा वनों पर राज्य का अधिकार स्थापित किया गया सन् 1894 वन नीति के अंतर्गत सारे वनों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया इन में दो प्रमुख घोषणाएं हुई वन संरक्षण पर स्थाई खेती को वरीयता दी गई। वनों के प्रशासन का अनन्य उद्देश्य लोक भौतिक लाभ प्रदान करना था सन 1927 में वन

अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा मात्र अधिवास के आधार पर लोगों के वन उत्पाद के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और राज्य को ग्राम वन सहित सभी वनों को अर्जित करने की शक्ति दी गई।⁶

जिस सतत टिकाऊ एवं धारणीय विकास की बातें आज की जा रही हैं जब पर्यावरण संकट में है यह धारणीय विकास की बातें हमारे वेदों में पहले से ही विद्यमान थी अथर्ववेद में इसको रेखांकित किया गया है। हे भूमि, तेरे वन हमारे लिए सुखदाई हो भूमि तेरे वृक्षों को मैं इस तरह काटू की वे शीघ्र ही पुनः अंकुरित हो जाएँ उन्हें सम्पूर्ण रूप से काटकर मैं तेरे मर्म स्थल पर प्रहार न करूँ भूमि को औषधियों की माता माना गया है।⁷

सतत विकास की अवधारणा

धारणीय विकास हमारे लिए कोई नई अवधारणा नहीं है, यह हमारे वेदों में पहले से ही विद्यमान थी। 1992 के रियो सम्मेलन में टिकाऊ, धारणीय विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसे आज पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस का प्रमुख विषय यह था कि "पर्यावरण सुरक्षा के साथ टिकाऊ विकास को प्राप्त करना "सतत विकास वह विकास प्रक्रिया है जिस में वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है अर्थात् पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए जो विकास किया जाए वही सतत विकास है। यह विकास बिना मानव के सहयोग से प्राप्त नहीं किया जा सकता।

भारतीय समाज में पर्यावरण संरक्षण की जड़ें इतनी गहरी हैं इसका उदाहरण राजस्थान का विश्वीय समाज है। पर्यावरण की रक्षा के लिए यहां के लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। राजस्थान में प्रचलित कहावत से यह पता चलता है मनुष्य और प्रकृति के बीच अटूट रिश्ता है। सर साठे रख रहे तो भी सस्ती जाण- अर्थात् यदि सिर कटवा कर भी वृक्षों की रक्षा हो सके तो भी इसे फायदे का सौदा समझिये।

पर्यावरण न सिर्फ जीवन को आश्रय प्रदान करता है बल्कि यह जीवन को बनाए रखने के लिए भी अनिवार्य है। भारतीय दर्शन प्राचीन काल से प्रकृति प्रधान एवं प्रकृति संरक्षण वादी रहा है हमारे धर्म ग्रंथ में भी जल, वायु, अग्नि, दुर्गा जी तथा भूमि की पूजा पर जोर दिया गया है। श्रमानव सभ्यता के विकास की कहानी वास्तव में प्रकृति अथवा पर्यावरण के अंधाधुंध उपयोग की कहानी है। पिछली शताब्दी में सभ्यता के विकास के साथसाथ शहरीकरण- और औद्योगिकरण का तेजी से विस्तार में मनुष्य अपने मूल कर्तव्य को भूल गया इस क्रम में वह प्रकृति के लिए दिए हुए संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया और कर रहा है। इसके परिणाम अब हमारे सामने आने लगे हैं।

औद्योगिकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ और प्रौद्योगिकी मानव का आर्थिक मानव के रूप में काया पलट हुआ है मनुष्य में अर्थ-लोलुपता आ गई, उद्योग से अच्छी कमाई होते देख वंश की महत्वकांक्षा असीमित हो गई मनुष्य में प्राथमिक संसाधनों का विवेक पूर्ण पर अबधित दोहन करना आरंभ कर दिया। प्राकृतिक संसाधनों के असीमित दोहन से जैवमंडल पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक विघटन श्रंखलाबद्ध परिवर्तन होने लगे जिसके कारण अनेक पर्यावरण और पारिस्थितिक समस्याओं का उद्भव हुआ। अब स्थिति यह है कि आज पर्यावरण को इतना प्रदूषित कर दिया गया है कि मानव समेत जीव धारियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।¹⁰

वास्तव में नगरीकरण में विस्तार एवं वृद्धि का तात्पर्य होता है नगरों में मानव जनसंख्या के सांद्रण में अत्यधिक वृद्धि तथा इस नगरी जनसंख्या में विस्फोट के कारण भवनों, सड़कों, गलियों नगरीय अपशिष्ट पदार्थों धूम्र, धूल, राख, कचरा हानिकारक गैसों आदि में भारी वृद्धि होती है इस कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।¹¹

हम यह जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन से हमारी जान खतरे में पड़ सकती है फिर भी हम इस समस्या पर ध्यान नहीं देते पिछले हफ्ते लोकसभा में पर्यावरण मंत्री अनिल दवे ने बताया कि इस शीत ऋतु में राजधानी दिल्ली में धुआं मिश्रित कोहरा इस वर्ष सबसे ज्यादा रहा वहीं चीन में, भी प्रदूषण के गंभीर स्तर तक पहुंचने की चेतावनी दी गई। प्रदूषण खतरे की सीमा को लांघ गया है। यह समस्या दिल्ली कि नहीं बड़े शहर, महानगरों की भी है वायु प्रदूषण में दो बड़े कारक हैं- वाहनों की बढ़ती संख्या व उद्योगों की भरमार। चिंता जनक बात यह है कि अनेक नियमों के बावजूद स्थिति सुधरती नहीं दिख रही है।¹²

हैरत की बात यह है कि जिस देश के पुराणों, संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है उसी देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में शामिल किया गया है। इसका मुख्य कारण भारत की बढ़ती आबादी है यह कहना गलत ना होगा कि दुनिया में वायु प्रदूषण मृत्यु का चौथा बड़ा कारण बन रहा है यह एक विश्व स्तरीय समस्या का विकराल रूप धारण कर चुका है।

वैज्ञानिक काफी पहले चेतावनी दे चुके हैं कि वह ओजोन परत काफी पतली हो चुकी है और अंटार्कटिका ध्रुव के ऊपर की परत पर छेद हो चुका है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें ओजोन परत को लगातार छेदन कर पृथ्वी तक पहुँचने लगी हैं। ऐसा वायुमंडल में बढ़ती रासायनिक गैसों की वजह से हुआ है इनमें खतरनाक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन के परमाणुओं को धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। क्लोरो, फ्लोरिन मानव निर्मित यौगिक है जो रेफ्रिजरेटर तथा एयर 13कंडीशनर में इस्तेमाल होता है साथ ही कंप्यूटर, फोन में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड को साफ करने में भी काम आता है। गद्दों के कुशन, फोम बनाने, स्टायरो फोम के रूप में एवं पैकिंग सामग्री में भी इसका प्रयोग होता है। हम यह कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान जनस्वास्थ्य पर पड़ा है जैसे अस्थमा, स्वांश जैसी बीमारियां, श्वसन प्रणाली पर संक्रमण से शरीर का इम्युन सिस्टम कमजोर पड़ना। फेफड़ों की कार्यक्षमता का कम होना। सीने में दर्द, गले में जलन, रेटिना खराब होने से व्यक्ति अंधा हो सकता है दिल की बीमारी को खतरा और असमय ही मौत हो सकती है।

प्रारंभिक युगों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी अधिक विनाशकारी नहीं थी क्योंकि उन दिनों प्रौद्योगिकी के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य था साधारण जनता को जीवन निर्वाह के लिए मात्र आवश्यक निम्नतम वस्तुओं को सुलभ कराना परंतु वर्तमान प्रौद्योगिकी अधिक खतरनाक एवं विनाश कारी हो गयी है। क्योंकि अब आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग का मुख्य उद्देश प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से विदोहन करना तथा मानव समाज के भौतिक स्तर को बढ़ाने के लिए इन संसाधनों से विभिन्न प्रकार के उत्पादन करना।¹⁴

पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान

भारत ही ऐसा पहला देश है जहां पर्यावरण के संरक्षण और सुधार को मूलभूत कर्तव्यों में शामिल किया गया है और इस प्रकार इसे सरकार और नागरिकों का संवैधानिक दायित्व बनाया गया है।

अनुच्छेद 48 (क) राज्य की निति के निर्देशक तत्वों के भाग में 42 वां संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अन्तः स्थापित किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 (क)¹⁵ में कहा गया है कि "राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार और वनों तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा। "संविधान के अनुच्छेद 51क (छ)¹⁶ में कहा गया है भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वनो, झीलों, नदियों तथा वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करें और सभी सजीव प्राणियों के प्रति करुणा रखें। मेनका गाँधी बनाम भारत संघ (AIR 1978 SC 507) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया की मानव गरिमा के साथ जीने का संविधान के अनुच्छेद 21 के क्षेत्र के अंतर्गत मूल अधिकार है। जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उपबंधित है।¹⁷ स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार समाविष्ट करता है। पर्यावरण विधि कानूनों द्वारा विनियमन की प्रणाली की व्यवस्था करती है। न्यायिक सक्रियतावाद¹⁸ और लोक हिट वाद या सामाजिक कार्यवाही वाद की युक्ति का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में प्रतिपादन से प्रक्रियात्मक अधिकारिता में बड़ा भारी परिवर्तन हुआ है। जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। सतत विकास कोई मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते इसके लिए हम स्वयं को प्रकृति का अभिन्न हिस्सा मानें। छोटेछोटे उपाय करके और अपनी तीव्र महत्वकांक्षा को काबू में रख कर सीमित मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके पर्यावरण को बचा सकते हैं एवं टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित कर भावी पीढ़ी के भविष्य को सुखद व संरक्षित तो रख ही सकते हैं। वर्तमान पीढ़ी को अनेक दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं। हमें महात्मा गाँधी के उस कथन¹⁹ को अपनाना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए तो काफी है परंतु किसी व्यक्ति के लालच को पूर्ण करने के लिए नहीं। महात्मा गाँधी के इन्ही वचनों को अपनाने की आवश्यकता है इसी से आगे बढ़ कर हम टिकाऊ विकास की अवधारणा को साकार कर सकते हैं।

निष्कर्ष

पर्यावरण संरक्षण जीने के मूल अधिकार में शामिल जब भारतीय संविधान प्रद्युत मूल अधिकारों पर कुठाराघात होता है अभी प्रदूषण के कारणों के निस्तारण में जुट जाते हैं, सरकार को समझना होगा कि यह एक दिन की समस्या नहीं है और नाही एक दिन में इसका समाधान होने वाला है कभीकभी न्यायालयों की चिंता देखने को - मिलती है, लेकिन न्यायालय की भी अपनी सीमा है, वह आदेश तो पारित कर सकते हैं, लेकिन आमजन को भी समझना होगा कि पर्यावरण की क्षति अपूरणीय है, न्यायालय कब तक दखल देती रहेगी, जनता को अपने वर्तमान और भविष्य काल का डर होना चाहिए की नष्ट हुए पर्यावरण को किसी कीमत में वापस नहीं लाया जा सकता।

हम सभी भारतीय पृथ्वी को माता मानते हैं और माता मानकर उसकी पूजा भी करते हैं, और सतत विकास सदैव हमारे विधि और विचारधाराओं का मूल सिद्धांत रहा है आज संपूर्ण विश्व पर्यावरण को लेकर चिंतित है प्रदूषक तत्वों की मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है, यह संपूर्ण मानवता के लिए खतरा है। शुद्ध वायु जल तथा शुद्ध भोजन हमारे जीवन जीने के लिए अनिवार्य है पर्यावरण संरक्षण जो सतत विकास का अभिन्न अंग है इसके लिए

पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा दायित्व है पर्यावरण संरक्षण में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधान और विकास हेतु नीतियां अपने मूलभूत सिद्धांतों में शामिल किया गया है। पर्यावरण के संरक्षण और परिरक्षण²⁰ के लिए न्यायपालिका एवं सरकार ने बहुत अधिक मात्रा में नियमों की नियमावली को बनाया है तथा न्यायिकमान, मानकों को तैयार किया गया है और, आगे भी पर्यावरण संरक्षण के सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है।

सन्दर्भ

1. डॉ. जय जय राम उपाध्याय “पर्यावरण विधि”, सेंट्रल लॉ एजेंसी इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 47.
2. परीक्षा मंथन, चतुर्थ-संशोधित संस्करण, 2015 मार्च पृष्ठ संख्या 4-5
3. डॉ अनिरुद्ध प्रसाद, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण विधि की रूपरेखा, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 194 -195
4. जे.बी. लाल, “इंडियास फॉरेस्ट्स: मिथ एंड रियलटी” (नटराज, देहरादून,1980) पृष्ठ संख्या 15-18
5. जे.बी. लाल, “इंडियास फॉरेस्ट्स: मिथ एंड रियलटी” (नटराज, देहरादून,1980) पृष्ठ संख्या 15-18
6. डॉ अनिरुद्ध प्रसाद, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण विधि की रूपरेखा, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 194-196
7. परीक्षा मंथन, चतुर्थ-संशोधित संस्करण, 2015 मार्च पृष्ठ संख्या 20-21
8. सतत विकास शब्द का प्रयोग पहली बार 1987 में ब्रूनटलैण्ड ने किया था।
9. डॉ. सत्यनारायण दुबे, “पर्यावरण अध्ययन”2014 शारदा पुस्तक भवन ,इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 4-5.
10. परीक्षा मंथन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 2015 संस्करण पृष्ठ संख्या 20-21
11. डॉ. जय जय राम उपाध्याय “पर्यावरण विधि”2000 सेंट्रल लॉ एजेंसी इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 47.
12. दैनिक भास्कर मंगलवार, 14 फरवरी 2017 पृष्ठ संख्या 8.
13. दैनिक भास्कर शुक्रवार, 17 फरवरी 2017 पृष्ठ संख्या 5.
14. डॉ. जय जय राम उपाध्याय “पर्यावरण विधि” 2000 सेंट्रल लॉ एजेंसी इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 48-49
15. भारतीय संविधान अनुच्छेद 48(क)
16. भारतीय संविधान अनुच्छेद 51क (ग)
17. डॉ अनिरुद्ध प्रसाद, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण विधि की रूपरेखा, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद पृष्ठ संख्या -194-195

18. जे.बी. लाल, इंडियास फॉरेस्ट्स: मिथ एंड रियलटी (नटराज, देहरादून, 1980, पृष्ठ संख्या-15-18
19. परीक्षा मंथन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 2015 पृष्ठ संख्या 20-21
20. दैनिक भास्कर 20 नवंबर 2019 पृष्ठ संख्या 8